रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 261] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 1974/आश्विन 30, 1896

No. 261] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 1974/ASVINA 30, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd October 1974

SUBJECT.—*Import Trade Control Handbook of Rules and Procedure, 1974-75.*

No. 162-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the provisions contained in the Import Trade Control Handbook of Rules and procedure 1974-75 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 45-ITC(PN)/74, dated 2nd April 1974.

2. The following amendment may be deemed to have been made in the aforesaid Handbook:—

Sub-para 84(1)(d) may be amended to read as under:—

"(d) The licensee may import processing aids and chemicals for research and laboratory tests against his licence for raw materials/components to the extent of 5 per cent of the face value of the licence or Rs. 5,000, whichever is less, within the overall value of the licence, provided the import of a single item does not exceed Rs. 250 in value."

3. The Import Trade Control Handbook of Rules and Procedure 1974-75 may be deemed to have been amended accordingly.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1974

विषय:—आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1974–75

सं० 162-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 45 आई टी सी(पी एन)/74 दिनांक 2 अप्रैल, 1974 के अन्तर्गत आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक 1974–75 में निहित शर्तों की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. पूर्वोक्त पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन किए गए समझे जाएं:—

उप-कंडिका 84(1)(डी) निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित की जाए:—

"(डी) लाइसेन्सधारी कच्चे माल/संघटकों के लिए अपने लाइसेन्स के आधार पर अनुसंधान और प्रयोगशाला परीक्षणों के लिए माल निर्माण करने के सहायक साधनों और रसायनों का लाइसेन्स के अंकित मूल्य के 5% या 5000 रुपये, इनमें जो भी कम हो उस तक लाइसेन्स के समस्त मूल्य के भीतर आयात कर सकते हैं, बशर्ते कि केवल एक मद का आयात मूल्य में 250 रुपये से कम न हो ।"

3. आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1974–75 तदनुसार संशोधित की गई समझी जाए ।

वी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974